एवी-22011 /2/2020एसडीएनआईटी-एमओसीए

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

21 मई 2020

आदेश

विषय: टिड्डियों से बचाव के प्रचालनों के उद्देश्य से सरकारी इकाईयों को रिमोट चालित विमान व्यवस्था के उपयोग के लिए प्रतिबंधित छूट प्रदान करने के संबंध में।

यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत से प्राप्त दिनांक 20 मई, 2020 के अ.शा. पत्र संख्या 12014/08/2020-पीपी-I के संदर्भ में है जिसके माध्यम रिमोट चालित विमान व्यवस्था ('आरपीएएस' , ''ड्रोन' के नाम से सामान्यत: ज्ञात) का उपयोग टिड्डियों से बचाव के प्रचालनों के लिए किए जाने की अनुमति मांगी गई है।

भारत सरकार द्वारा मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 160 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों पर ''प्रतिबंधित छूट'' प्रदान की गई है:-

1. इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अध्याधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह (''डीपीपीक्यूएस'') महानिदेशालय, फरीदाबाद द्वारा नोडल एजेंसी के कार्य किए जाएंगे।
2. प्रतिबंधित छूट नोडल एजेंसी द्वारा आकाशीय निगरानी, आकाशीय फोटोग्राफी, जन घोषणाओं तथा / अथवा टिड्डियों से बचाव के उद्देश्य से आकाश से कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली रिमोट चालित विमान व्यवस्था ('आरपीए')के लिए होगी। रिमोट चालित विमान व्यवस्था ('आरपीए') के अंतर्गत किए जाने वाले अन्य प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों के लिए नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अलग से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

3. प्रतिबंधित छूट केवल बैटरी प्रचालित रोटरी विंग वाली रिमोट चालित विमान व्यवस्था ('आरपीए) के लिए ही सीमित होगी। अन्य प्रकार की फिक्स्ड विंग रिमोट चालित विमान व्यवस्था ('आरपीए'') जैसे अन्य अनेक रिमोट चालित विमान व्यवस्था ('आरपीए') तथा स्वायत्त रिमोट चालित विमान व्यवस्था ('आरपीए') का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
4. रिमोट चालित विमान व्यवस्था ('आरपीए') के संरक्षित प्रचालनों के प्रति नोडल एजेंसी उत्तरदायी होगी।
5. प्रत्येक रिमोट चालित विमान व्यवस्था ('आरपीए') का प्रचालन नोडल एजेंसी के पूर्ण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अध्याधीन किया जाएगा। रिमोट चालित विमान व्यवस्था ('आरपीए') से किसी भी समय जीवन, फल, पशुधन, सम्पति अथवा अन्य मानव चालित / मानव रहित विमान के लिए जोखिम उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
6. नोडल एजेंसी द्वारा स्वयं अपनी रिमोट चालित विमान व्यवस्था ('आरपीए') का प्रचालन किया जा सकेगा अथवा किसी तृतीय रिमोट चालित विमान व्यवस्था सेवा पक्षकार ('आरएसपी') की सेवाएं प्राप्त की जा सकेगीं।

आरएसपी तथा आरएसपी के आरपीए प्रचालकों का सुरक्षा सत्यापन एवं क्षमता मूल्यांकन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व नोडल एजेंसी का ही होगा तथा इसे आरपीए का प्रचालन करने से पूर्व पूरा कर लिया जाना चाहिए।

7. आरपीए की कस्टडी, सुरक्षा एवं एस्सेस नियंत्रण के प्रति प्रत्येक समय नोडल एजेंसी ही उत्तरदायी होगी तथा यह आरपीए से किसी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में तृतीय पक्षकार देयताओं के लिए उत्तरदायी होगी।

8. छिड़काव किए जाने वाले कीटनाशकों (कीटनाशक के नाम, कीटनाशक के विवरण, छिड़काव की मात्रा, आच्छादित क्षेत्र एवं नोडल एजेंसी के पर्यवेक्षण अधिकारी इत्यादि सहित अन्य विवरण) के विवरण के साथ साथ प्रत्येक आरपीए उड़ान का विवरण उड़ान का प्रचालन किए जाने के सात दिन के भीतर नागर विमानन महानिदेशालय के डिजीटल स्काई प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाएगा।

9. आरपीए के प्रचालन से संबंधित किसी प्रकार की घटना अथवा दुर्घटना की जानकारी तुरंत नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय को डिजीटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से दी जाएगी।

10. आरपीए तथा इसके प्रचालन निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन किए जाएंगे :-

क) आरपीए के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी विशिष्ट पहचान संख्या(यूआईएन)तथा / अथवा ड्रॉन स्वीकृति संख्या (डीएएन) होनी चाहिए;

ख) आरपीए का सकल भार 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए;

ग) किसी प्रकार कमांड तथा नियंत्रण लिंक टूट जाने की स्थिति के लिए आरपीए स्वचालित रिटर्न टू होम फीचर से सुसज्जित होना चाहिए;

घ) इसके प्रचालन भू सीमा से ऊपर (एजीएल) 200 फुट तक प्रतिबंधित होने चाहिए;

ङ) आरपीए का प्रचालन प्रत्येक समय विजुअल लाइन आफ साइट (वीएलओएस) के दायरे में किया जाना चाहिए;

च) आरपीए का प्रचालन व्यक्तियों, भवनों, वाहनों तथा सम्पतियों से प्रत्येक समय संरक्षित दूरी बनाकर किया जाना चाहिए;

छ) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विधिवत प्राधिकृत टिड्डियों से बचाव के कीटनाशकों के अलावा आरपीए से अन्य किसी भी वस्तु को उठाने, पहुंचाने अथवा निस्सर्जन किए जाने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी;

ज) आरपीए से किए जाने प्रचालन स्थानीय सूर्योदय तथा स्थानीय सूर्यास्त के मध्य की अवधि में ही किए जाएंगे;

झ) तेज हवा, वर्षा, आंधी अंधड़, न्यून दृश्यता इत्यादि जैसी अन्य अनेक स्थितियों सहित खराब मौसम स्थितियों के दौरान आरपीए प्रचालन नहीं किए जाने चाहिए;

ण) प्रचालक को आरपीए से प्रत्येक प्रकार उड़ान के चरणों, विशेषत: किसी प्रकार के धटक के खराब होने की स्थिति में बचाव कार्रवाई की स्थितियों में, का संचलन करने में अभ्यस्त होना चाहिए;

ट) बैटरी रिजर्व 10 मिनट से कम होने होने की स्थिति में सभी आरपीए उड़ानें तत्काल निलंबित कर दी जानी चाहिए ; तथा

ठ) कोई भी व्यक्ति किसी भी समय एक से अधिक आरपीए के लिए रिमोट पॉयलट के कार्य नहीं करेगा।

11. निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में आरपीए प्रचालन नहीं किए जाने हैं :

क) मुम्बई, दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, बंगलुरू तथा हैदराबाद में स्थित हवाईअड्डों की चारदीवारी के 5 किलोमीटर की दूरी के दायरे में;

ख) उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित के अलावा किसी भी नागरिक, निजी अथवा रक्षा हवाईअड्डे की चारदीवारी के 3 किलोमीटर के दायरे में;

ग) वैमानिक सूचना प्रकाशन (एआईपी) में दी गई सूचना के अनुसार अस्थाई आरक्षित विमान क्षेत्र (टीआरए) तथा अस्थाई रूप से विलगित क्षेत्र (टीएसए) सहित किसी स्थाई अथवा अस्थाई रूप से निषिद्ध, प्रतिबंधित तथा खतरनाक क्षेत्रों में;

घ) यदि रक्षा मंत्रालय से लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तो नियंत्रण रेखा (एलओसी), वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तथा वास्तविक स्थल स्थिति रेखा (एजीपीएल) सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के दायरे में;
ङ) ग्राउंड स्टेशन भूमि पर फिक्स्ड प्लेटफार्म पर होने की शर्त के साथ तटीय रेखा से समुद्र में 500 मीटर (क्षैतिज) से आगे;
च) स्थानीय सैन्य संस्थापनों / सुविधा केन्द्रों से क्लीयरेंस प्राप्त किए बिना सैन्य संस्थापनों / सुविधा केन्द्रों / सैन्य क्रियाकलापों / अभ्यास के क्षेत्र से 3 किलोमीटर के दायरे में;
छ) दिल्ली में विजय चौक से 5 किलोमीटर के दायरे में। यह स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों / प्राधिकरणों द्वारा स्थापित अतिरिक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अध्याधीन है;
ज) राज्यों की राजधानी के राज्य सचिवालय परिसर से 3 किलोमीटर के दायरे में;
झ) गृह मंत्रालय से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित रणनीतिक स्थलों / महत्वपूर्ण संस्थापनों की चारदीवारी के 2 किलोमीटर के दायरे में;
ण) मूविंग वाहन, शिप अथवा विमान के मोबाइल प्लेटफार्म से; तथा
ट) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास स्थिति पर्यावरण संवेदी क्षेत्रों में।

12. इस आदेश के प्रावधान आगामी आदेश जारी किए जाने तक प्रभावी रहेंगे।
13. भारत सरकार को कोई भी कारण सूचित किए बिना इस आदेश के प्रावधानों में संशोधन करने, समाप्त करने अथवा विस्तारित करने का सुरक्षित अधिकार प्राप्त है।
14. इस आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन होने से प्रतिबंधित छूट अप्रयोज्य एवं लागू कानून के अंतर्गत शास्ति कार्रवाई के योग्य होगी।
इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(प्रदीप कुमार खरोला)
सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
सभी राज्यों / संघशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव / प्रशासक
सभी राज्यों / संघशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक / प्रमुख
संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो (श्री जर्नादन सिंह), नई दिल्ली
निदेशक, जी-विंग, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली
महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली
अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नागर विमानन मंत्रालय के वैयक्तिक सचिव
सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली के वैयक्तिक सचिव
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र दल, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली
डिजीटल स्काई प्लेटफार्म

***